

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2015/माघ 27, 1936

No. 372]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2015/ MAGHA 27, 1936

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2015

का.आ, 522 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्यक पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का 32) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2015 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

> [सं एसआर-12011/1/2011-एमजी] दिव्या प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2015

S.O. 522(E).— In exercise of the powers conferred by of sub-section (2) of Section 1 of the Merchant Shipping (Second Amendment) Act, 2014 (32 of 2014), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 2015 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. SR- 12011/1/2011-MG]

DIVYA PRASAD, Jt. Secy.